न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र.क्र. 2347/I/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.04.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के अपील प्रकरण क्र. 373/अपील/2012–13

भागवती बाई पुत्री श्री सुखलाल
पत्नी श्री हीरालाल, जाति अहिरवार,
निवासी– लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) .... आवेदक

विरुद्ध

मोतीलाल,, आयु लगभग 70 वर्ष
आत्मज श्री हल्का, जाति अहिरवार,
निवासी– ग्राम कौलुआनौआवाद,
हाल मुकाम ग्राम सगड़ा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) .... अनावेदक

आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेश गिरी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 एस0 राजपूत

आदेश

(आज दिनांक 8-6-2016 को पारित)

अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 373/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध यह निगरानी म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार लटेरी के समक्ष एक आवेदन–पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोलुआनौआवाद, तहसील

लटेरी में स्थित भूमि खसरा क्र. 67, 133, 134, 135 क्रमशः रकबा 0.083, 1.341, 1.130, 1.303 ऐसे कुल किता 4 कुल रकबा 3.070 हेक्टेयर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) उसके भूमिस्वामी स्वत्व व आधिपत्य में राजस्व अभिलेख में अभिलिखित था, अनावेदक ने दिनांक 08.01.2008 को जब उसके खाते की नकल ली तो उसे ज्ञात हुआ कि भूमि खसरा क्र. 133 रकबा 1.341 हेक्टेयर कम हो गई है तथा उसके अभिभाषक से मालूम कराने पर पाया कि 2000—2001 से 2004—2005 में नामांतरण पंजी क्र. 10 दिनांक 16.01.2001 से सुखलाल के नाम दर्ज हुई है जो गलत दर्ज हुई है जिसकी दुरूस्ती के लिये आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया। सुखलाल द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया कि अनावेदक के पिता हल्का व सुखलाल के पिता रतना आपस में काका दादाजी के भाई होकर एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा उक्त भूमि उनकी पैतृक सम्पत्ति होकर भूमि खसरा क्र. 133 रकबा 1.341 हेक्टेयर उसके स्वत्व व आधिपत्य में होकर हमेशा से उनके आधिपत्य में चली आ रही है तथा वर्तमान में भी उसी के आधिपत्य में है तथा अनावेदक ने स्वयं की सहमति से उसके नाम दर्ज कराई है और उसके नाम की प्रविष्टि अनावेदक की जानकारी में निरन्तर है। सुखलाल द्वारा यह भी आपत्ति ली गई कि अनावेदक ने उक्त आवेदन—पत्र मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है स्पष्ट नहीं किया है। किसी प्रविष्टि की दुरूस्ती के लिये मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता में धारा 113, 114, 115, 116 के अधीन प्रावधान है तथा धारा 114 के अधीन जो अभिलेख तैयार किया जाता है उस रूप में यह प्रविष्टि धारा 108 की श्रेणी में आती है तथा धारा 113, 115, 116 में से किसी भी प्रावधान के अंतर्गत अनावेदक का आवेदन—पत्र नहीं आता इसलिये उसका आवेदन—पत्र निरस्त किया जावे।

3/ नायब तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि वादग्रस्त भूमि मौके पर सुखलाल के कब्जे में है तथा उसके नाम पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 9/अ—6—अ/08—09 में दिनांक 28.11.2008 के आदेश द्वारा अनावेदक का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जिसके विरुद्ध सुखलाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, लटेरी, जिला विदिशा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्र. 13/अपील/2008—09 के रूप में पंजीबद्ध हुई है और आदेश दिनांक 30.07.2009 के द्वारा स्वीकार कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए

गुण—दोषों के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। तदुपरान्त नायब तहसीलदार, लटेरी के समक्ष अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तथा सुखलाल की ओर से दिनांक 30.10.2010 को भंवरलाल, खिलान सिंह, पप्पू, भगवतसिंह, सुखराम के कथन नायब तहसीलदार के समक्ष अंकित किये गये और तदुपरान्त नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.05.2011 को आदेश पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि पर सुखलाल पिता रतना के स्थान पर अनावेदक मोतीलाल का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। सुखलाल द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्र. 76/अपील/2010—11 के रूप में दर्ज हुई। प्रकरण के विचारण के दौरान सुखलाल की मृत्यु होने के कारण भागवती बाई का नाम वैध उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया गया और दिनांक 16.01.2013 के द्वारा अपील निरस्त की गई।

4/ अनुविभागीय अधिकारी लटेरी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्र.-373/अपील/2012—13 के रूप में दर्ज हुई तथा आदेश दिनांक 24.04.2015 के द्वारा निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी में उल्लेखित आधारों के साथ—साथ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क के साथ लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपील में उल्लेखित तथ्यों, विधि संबंधी सभी प्रश्नों एवं साक्ष्य की विधिवत विवेचना करे। प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लटेरी द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों, विधि संबंधी प्रश्नों एवं साक्ष्य की विधिंवत विवेचना नहीं की है। अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी और सुखलाल की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है और सुखलाल को आपसी बंटवारे के आधार पर भूमि प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ था। अनावेदक द्वारा सुखलाल के नाम दर्ज नामांतरण के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है और ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई कि उसके नाम भूमि गलत तरीके से नामांतरित हुई है। सुखलाल द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होकर उसे भाई बंटवारे में प्राप्त हुई है। रतना के पिता का नाम मान सिंह था व हल्का

के पिता का नाम खुमना होकर मानसिंह व खुमना आपस में सगे भाई थे तथा वादग्रस्त भूमि पर भाई बंटन के आधार पर मोतीलाल की सहमति से उसका नाम दर्ज हुआ था और उसी का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है। रिकार्ड पर उपलब्ध पंचनामा प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि सुखलाल का वादग्रस्त भूमि पर कई वर्षो से आधिपत्य है और आपसी बंटवारे में प्राप्त हुई है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती की परिधि में नहीं आता है तथा आवेदन अवधि बाह्य होकर नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार के परे था जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा करने में भूल की गई है और निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्को में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित क रने में कोई भूल नहीं की गई है तथा सुखलाल एवं मोतीलाल का कोई रिश्ता नहीं था और निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया।

7/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी लटेरी द्वारा 13/अपील/2008–09 में दिनांक 30.07.2009 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार लटेरी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वह उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण के गुण–दोषों के आधार पर विधि के सम्यक अनुकम में आदेश पारित करें। सुखलाल द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होकर उसे भाई बंटवारे में प्राप्त हुई है। रतना के पिता का नाम मान सिंह था व हल्का के पिता का नाम खुमना होकर मानसिंह व खुमना आपस में सगे भाई थे तथा वादग्रस्त भूमि पर भाई बंटन के आधार पर मोतीलाल की सहमति से उसका नाम दर्ज हुआ था और उसी का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है। इस प्रकार प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के उपरान्त नायब तहसीलदार को रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के अनुक्रम में आदेश पारित किया जाना चाहिये था। नायब तहसीलदार के समक्ष सुखलाल द्वारा स्वयं के अतिरिक्त अन्य चार साक्षियों के कथन अंकित कराये गये थे जबकि अनावेदक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही सुखलाल अथवा उसके साक्षियों का कोई प्रतिपरीक्षण किया गया। इस प्रकार सुखलाल द्वारा जो नायब तहसीलदार,लटेरी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी वह अखण्डित रही है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया है कि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत

पंचनामा एवं प्रतिवेदन पर भी अनावेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। आवेदक द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि अनावेदक द्वारा नामांतरण पंजी के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई इस कारण रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्र. 13/अपील/2008-09 में दिनांक 30.07.2009 को आदेश पारित कर उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था। आवेदक का भी यह कहना है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा सुखलाल को उक्त भूमि आपसी बंटवारे में प्राप्त हुई थी। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर कोई जांच नहीं की गई है और इस वैधानिक स्थिति पर भी विचार नहीं किया है कि क्या वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होकर आपसी बंटवारे में सुखलाल को प्राप्त हुई थी और आपसी बंटवारे के आधार पर सुखलाल का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा अपील प्रकरण क्र. 373/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2015, अनुविभागीय अधिकारी लटेरी द्वारा प्रकरण क्र. 76/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2013 एवं नायब तहसीलदार लटेरी द्वारा प्रकरण क्र. 9/अ-6-अ/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2011 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, लटेरी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होकर आपसी बंटवारे में सुखलाल को प्राप्त हुई थी के संबंध में उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का गुण-दोषों पर निराकरण करें।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर